राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांकः पं. 8(11) गृह–12/कारा/2014 जयपुर, दिनांकः 27 JAN 2016

आदेश

कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम–9, सन् 1894) की धारा 3 के उपबन्ध (1) सपठित राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 2 **(vi)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय गौवंश रक्षण संवर्द्धन समिति गौसेवा केन्द्र ग्राम रैवासा जिला सीकर जो कि खसरा नं. 54, 133 से 141, 179, 251 से 256, 261 से 263, 266, 277, 289, 292 से 294, 1225, 1226, 1237 एवं 3217 ग्राम रेवासा कुल क्षेत्रफल 16.8600 हैक्टर भूमि में स्थित है, को 5 बंदी क्षमता के प्रयोजनार्थ अस्थायी खुला बंदी शिविर इस विभाग के आदेश समसंख्याक 02.02.2015 के द्वारा '' खुला बंदी शिविर'' घोषित किया गया था। उक्त खुला बंदी शिविर को राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से समाप्त करती है।

आज्ञा से,
Sd
(कृष्ण कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक सामान्य/43/2015/46471 दिनांक 07.12.2015 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. उप अधीक्षक, जिला कारागृह, सीकर।
6. अध्यक्ष, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्द्धन समिति गौसेवा केन्द्र ग्राम रैवासा (सीकर) को पत्रांक 14–15 दिनांक 28.09.2015 के क्रम में।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव